92

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA -800001

NO. L.A.Sur: - 356

Dated: - 03.12.07

To,

The Secretary,
Urban Development Department
Government of Bihar, Patna

Sir,

Audit Report **No. 401/2007-08** of the accounts of **Nagar Panchayat, Rafiganj** for the Period **2003-04 to 2006-07** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

3/12/07

(S.N.Sharma)
Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

As above

91

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0–401 का 07–08

प्रस्तावना

रफीगंज नगर पंचायत के वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक–06.08.07 से 14.09.07 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
श्री दिलीप तिर्कि	01.04.03 से 16.05.03
श्री अजय कुमार सिंह	17.05.03 से 10.07.03
श्री डा0 विनोद कुमार सिंह	11.07.03 से 05.12.03
मो0 युनुस	07.12.03 से 31.03.07

अध्यक्ष	अवधि
डॉ0 गुलाम शाहिद	01.04.03 से 31.03.07
उपाध्यक्ष	**अवधि**
श्री मती कुंडला देवी	01.04.03 से 31.03.07

3. **अंकेक्षण की परिसीमा**

अंकेक्षण में जाँच किये गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –II में दी गयी है।

90

4. **प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ**

कमांक	कंडिका सं0	विवरण
1.	11	जमा नहीं/कम जमा (रू0 1,02,172.00)
2.	12	बकाया दुकान किराया (रू0 3,82,292.00)
3.	13	दुकानों का नवीकरण नहीं (रू0 1,20,000.00)
4.	15	दो तीन वर्ष पुरानी योजनाएँ अपूर्ण।
5.	16	चपाकल सामग्री खरीद में अनियमितता (रू0 2306080)
6.	17	रॉयल्टी एवं बिक्री कर की कम कटौती (रू0 1,52,968.00)
7.	19	भविष्य निधि राशि का दुर्विनियोजन (रू0 69,347.00)
8.	21	31.03.07 तक भारी बकाया अग्रिम (रू0 76,82,923.00)

5. **अधिदृश्य**

नगर पंचायत रफीगंज केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के आय श्रोतों से वित्त सम्पोषित होती है। वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक का वार्षिक आय-व्यय लेखा नगर पंचायत के द्वारा तैयार नहीं किया गया जिसके कारण वास्तविक आय-व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका। फिर भी, रोकड़ बही के अनुसार आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है:-

कम सं0	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	प्रारंभिक शेष	9,95,746.84	13,81,690.84	10,23,519.84	26,27,755.84
2.	वर्ष की प्राप्तिः-				
(i)	सरकारी अनुदानः-				
(क)	वेतन एवं भत्ता	1,19,491.00	1,14,999.00	47530.00	शून्य
(ख)	चपाकल निर्माण(नगरीय आधारभूत संरचना)	शून्य	शून्य	शून्य	44,24,000.00
(ग)	नली निर्माण/बूचड़खाना नगरीय आधारभूत संरचना)	शून्य	शून्य	शून्य	70,85,800.00
(घ)	पथ निर्माण/जिर्णोद्धार नगरीय आधारभूत संरचना)	शून्य	शून्य	शून्य	35,87,000.00
(ड)	हाइड्रोलिक ट्रेक्टर	शून्य	शून्य	शून्य	4,23,512.

					00
(ii)	सरकारी ऋणः-				
(क)	वेतन एवं भत्त	1,19,492.00	1,14,997.00	शून्य	शून्य
(iii)	मुद्रांक शुल्क	7,02,138.00	13,04,101.00	3,98,665.00	11,42,936.00
(iv)	स्वयं का आय	5,52,325.00	5,97,798.00	6,99,066.00	8,80,954.00
(v)	रा0गंदी बस्ती विकास योजना	14,08,000.00	शून्य	23,80,000.00	शून्य
(vi)	एकादश वित्त	9,32,115.00	4,66,058.00	6,97,295.00	शून्य
(vii)	द्वादश वित्त	शून्य	शून्य	5,62,940.00	10,10,775.00
(viii)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	शून्य	86,380.00	21,60,000.00	9,57,371.00
(ix)	विधायक निधि	शून्य	शून्य	5,09,500.00	17,84,300.00
(x)	सूद से प्राप्ति/अन्य प्राप्ति	56,737.00	20,906.00	39,093.00	3,40,272.00
(xi)	वर्ष का कुल आय	38,90,298.00	27,05,239.00	74,94,089.00	2,16,36,920.00
3.	कुल आय (1+2)	48,86,044.84	40,86,929.84	85,17,608.84	2,42,64,675.84
4.	वर्ष का व्ययः-				
(i)	स्थापना एवं विविध	17,05,090.00	17,74,429.00	15,55,638.00	14,67,347.00
(ii)	चापाकल निर्माण नगरीय आधारभूत संरचना)	शून्य	शून्य	शून्य	29,31,080.00
(iii)	नाली निर्माण नगरीय आधारभूत संरचना)	शून्य	शून्य	शून्य	54,31,500.00
(iv)	पथ निर्माण/जिर्णोद्धार नगरीय आधारभूत संरचना)	शून्य	शून्य	शून्य	31,22,705.00
(v)	रा0गंदी बस्ती विकास योजना	8,51,940.00	5,72,435.00	19,68,191.00	2,25,677.00
(vi)	एकादश वित्त	7,29,208.00	5,48,587.00	6,68,776.00	शून्य
(vii)	द्वादश वित्त	शून्य	शून्य	5,568.00	6,53,282.00
(viii)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	2,18,116.00	1,67,959.00	13,34,180.00	5,03,192.00
(ix)	विधायक निधि	शून्य	शून्य	3,57,500.00	7,03,292.00
(5)	कुल व्यय	35,04,354.00	30,63,410.00	58,89,853.00	1,550,38,075.00
(6)	अंतशेष (3-5)	13,81,690.00	10,23,519.84	26,27,755.84	92,26,600.84

विभिन्न योजनाओं में प्राप्त अनुदान पर बैंक द्वारा प्रदत्त सूद की राशि संबद्ध अनुदान/ योजना का ही हिस्सा होता है, फिर भी रोकड़ बही में सूद की राशि को अलग शीर्ष में दर्शाया गया। इसका कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अतः बैंक द्वारा प्रदत्त सूद की राशि को संबद्ध अनुदान/योजना की राशि में जोड़कर रोकड़ बही में दर्शाया जाये।

6. **वित्त**

नगर पंचायत रफीगंज के वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:-

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रारंभिक शेष	9,95,746.84	13,81,690.84	10,23,519.84	26,27,755.84
वर्ष की प्राप्ति	38,90,298.00	27,05,239.00	74,94,089.00	2,16,36,920.00
कुल प्राप्ति	48,86,044.84	40,86,929.84	85,17,608.84	2,42,64,675.84
वर्ष का व्यय	35,04,354.00	30,63,410.00	58,89,853.00	1,50,38,075.00
अंतशेष	13,81,690.84	10,23,519.84	26,27,755.84	92,26,600.84

बैंक खाता के शेष का विवरण

क्रम सं0	बैंक खाता का विवरण	दिनांक 31.03.07 को शेष (रू0)
1.	पंजाब नैशनल बैंक रफीगंज खाता सं0 सी/ए-35	5,94,457.92
2.	,, ,, ,, बचत बैंक-10370	48,83,988.92
3.	,, ,, ,, ,, 118636	39,26,450.00
	योग	94,04,896.84

दिनांक 31.03.07 को रोकड़ बही के शेष एवं बैंक खातों के शेष में कुल रू0 1,78,296.00 का अंतर पाया गया। (94,04,896.84-92,26,600.84) रोकड़ बही में दर्ज शेष का बैंक खाता के शेष के साथ समाधान विवरणी रोकड़ बही में दर्ज नहीं था। अतः समाधान विवरणी रोकड़ बही में दर्ज किया जाये एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

87

7. **आय-व्ययक (बजट)**

बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 1922 की धारा 71 के अनुसार नगरपालिका को अगले वित्तीय वर्ष का आय-व्ययक (बजट) प्राक्कलन वित्तीय वर्ष शूरू होने से कम से कम दो माह पहले तैयार करना है, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले प्राप्तियों एवं खर्च होने वाली राशि एवं उद्देश्य जिस हेतू व्यय होना है, का ब्यौरा (अनुमानित)प्रस्तुत करना है, साथ ही धारा 73 के अनुसार नगरपालिका द्वारा पारित आय-व्ययक (बजट) की प्रति राज्य सरकार या उसके द्वारा नामित किसी पदाधिकारी को भेजा जाना है,

नगर पंचायत रफीगंज द्वारा वर्षवार पारित आय-व्ययक (बजट) का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

वर्ष	परिषद द्वारा पारित होने की तिथि	स्रकार को प्रेषित पत्र का विवरण
2003-04	02.04.03	पत्रसं0 08/मु0/03.04.03
2004-05	20.07.04	15/मु0/21.07.04
2005-06	05.04.05	54/27.05.05
2006-07	29.03.06	45/मु0/30.03.06

इस प्रकार अपरोक्त वर्षो में कभी भी आय-व्ययक (बजट) अगले वित्तीय वर्ष से दो माह पूर्ब नहीं तैयार किया गया वर्ष 2003-04 2004-05 एवं 2005-06 में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के बाद वर्ष 2006-07 में मार्च अन्त में पारित किया गया।

आय-व्यय (बजट) के कुछ रार्षी का वास्तविक आय-व्यय से मिलान करने पर आकड़ों में भारी अंतर पाया गया, जैसा कि नीचे के उदाहरण से स्पष्ट है:-

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्राप्ति				
स्वंय के स्त्रोत प्राप्त आय (बजट प्राक्कलन के अनुसार)	2489600	3067600	3067600	5868000
स्वंय के स्त्रोत से आय (वास्तबिक आय)	552325	597798	699066	880954
अन्तर	1937275	2469802	2368534	4987046
व्यय				
स्थापना व्यय(बजट प्राक्कलन के अनुसार)	2365000	2945000	2845000	5880000
स्थापना व्यय(वास्तविक व्यय)	1705090	1774429	1467347	1517347
अन्तर	659910	1170571	1377653	4362653

स्पष्ट है कि आय-व्ययक (बजट) गंभीरता पूर्वक तैयार नहीं किया गया। अनुमानित आय-व्यय (बजट) एवं वास्तविक आय-व्यय में भारी अंतर था।

आय-व्यय (बजट) को मनमाने ढंग से एवं गत वर्षो के अनुभवों को ध्यान में रखकर नहीं तैयार किया गया।

भविष्य में तथ्यों पर आधारित आय-व्ययक (बजट) तैयार किया जाय।

8. **सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे 01.04.2003 को अत्यवहूत अनुदान, 2003-04 से 2006-07 तक अनुदान की प्राप्ति एवं व्यय तथा 31.03.2007 को अत्यवहूत अनुदान की स्थिति ज्ञात नहीं किया जा सका। रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2003-04 से 2006-07 के बीच नगर विकास विभाग बिहार, पटना से कुल 2,82,020.00 रूपये कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता के लिए, नगरीय आधारभूत संरचना के लिए कुल 1,50,96,800.00 रूपये, हाइड्रोलिक ट्रैक्टर खरीद हेतु 4,23,512.00 रूपये प्राप्त हुआ। (परिशिष्ट -III के अनुसार) हाइड्रोलिक ट्रैक्टर खरीद हेतु प्राप्त 4,23,512.00 रूपये की राशि दिनांक 31.03.07 तक अव्यवहूत पायी गयी। नगरीय आधारभूत संरचना (चापाकल, नाली एवं पथ निर्माण/जिर्णोद्धार) के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में कुल व्यय 1,14,85,285.00 रूपये से संबद्ध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

9 **सरकारी ऋण**

सरकारी ऋण तथा ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे 01.04.2003 को अव्यवहूत ऋण, 2003-04 से 2006-07 तक ऋण की राशि एवं व्यय तथा 31.03.07 को अव्यवहूत ऋण की राशि तथा 31.03.2007 को सरकार को भुगतेय ऋण एवं उस पर सूद की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। रोकड़ बही के अनुसार 2003-04 से 2006-07 तक 2,34,489.00 रूपये का सरकारी ऋण कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता के लिए प्राप्त हुआ। विवरण निम्नवत् हैः-

85

क्रम सं०	प्राप्ति की तिथि	राशि	सरकारी पत्रांक
1.	09.04.03	1,19,492.00	न०वि०वि०बिहार,पटना सं-755दिनांक-13.03.03
2.	27.05.04	1,14,997.00	न०वि०वि०बिहार,पटना सं-460दिनांक-05.02.04
	कुल-	2,34,489.00	

ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

10. लेखापित नहीं किये गए भुगतान

बैंक खाता सं CA- 135 की विवरणी की संवीक्षा में पाया गया कि कुल 1800.00 रूपये की निकासी बैंक से की गई परंतु इससे संबद्ध भुगतानों की प्रविष्टियाँ लेखापाल रोकड़बही में दर्ज नहीं पायी गई। विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	राशि(रू०)	विवरण
1.	13.03.03	SKB 517358	1000.00	श्री मिथिलेश कुमार मिश्र
2.	14.05.03	SKB 577368	800.00	-तदैव-
		कुल-	1800.00	

उक्त भुगतानों को लेखापित नहीं करने का कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अतः उक्त भुगतानों से संबद्ध सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति एवं अभिश्रवों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये अथवा राशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से करके नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय। तब तक, कुल 1800.00 रू० की निकासी को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

11. जमा नहीं/ कम जमा

फॉर्म एच रसीद एवं विविध रसीद से की गई वसूलियों के जाँच के क्रम में पाया गया कि वसूली गई राशियों को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया अथवा कम जमा किया गया। इस प्रकार विभिन्न कर्मचारियों द्वारा कुल 1,02,172.00 रूपये की राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया जा सका (परिशिष्ट- IV के अनुसार)।

अतः कुल 1,02,172.00 रूपये की वसूली उत्तरदायी कर्मचारी से की जाय एवं वसूली गई राशि को नगर पंचायत निधि में जमाकर स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

संक्षिप्त रूप से- रू0 3507/- नहीं जमा पाया गया,	
वही रू0 96665/- कम जमा पाया गया।	
	102172/-

12. **दुकान किराया की बकाया राशि**

रफीगंज नगर पंचायत के वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक के लिए विभिन्न बाजारों के अंतर्गत अवस्थित दुकानों से संबद्ध माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया, जिससे दिनांक-31.03.07 तक बकाये किराये से संबंधित लेखे की जाँच नहीं की जा सकी। मामा शाह बाजार एवं लोहिया बाजार के अंतर्गत दुकानों / स्टॉलों की किराया पंजी जर्जर अवस्था में अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई। उक्त पंजी एवं दुकानों के उपलब्ध एकरारनामा बॉड के जाँच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 31.03.07 तक कुल 3,82,292.00 रूपये दुकान किराये की बकाये राशि के रूप में विभिन्न दुकानदारों के पास पड़ी हुई थी (परिशिष्ट- V के अनुसार)।

माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जाना सुनियोजित वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करती है। अतः कुल 3,82,292.00 रूपये की बकाये किराये की वसूली हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय साथ ही अन्य बाजारों के अंतर्गत इस प्रकार की बकाये किराये की अपने स्तर से गणना कर वसूली की कार्रवाई की जाय।

13. **दुकानों एवं स्टॉलों का एग्रीमेंट का नवीकरण नहीं होने से कुल 1,20,000.00 रूपये की हानि**

मामा शाह बाजार एवं लोहिया बाजार के अंतर्गत अवस्थित दुकानों एवं स्टॉलों से संबद्ध किराया वसूली पंजी एवं एकरारनामा बॉड के जाँच के क्रम में पाया गया कि एकरारनामा की प्रभावी तिथि की समाप्ति के उपरांत कुछ दुकानों का 2500.00 रूपये प्रति दुकान की दर से नवीकरण किया गया। परन्तु कुल 48 दुकानों/स्टालों का नवीकरण एग्रीमेंट समाप्ति के बाद भी नहीं किया गया (परिशिष्ट- VI के अनुसार)।

फलस्वरूप 2,500.00 रूपये प्रति दुकान की दर से कुल 1,20,000.00 रूपये (48X2500) की हानि नगर पंचायत को उठानी पड़ी। लोहिया बाजार एवं भामा शाह बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित दुकानों/स्टॉलों से संबद्ध एकरारनामा बॉंड आवश्यक जॉंच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये:-

क्रम सं0	विवरण
1.	दुकान सं-4-लोहिया बाजार
2.	,, -12- ,, ,,
3.	स्टॉल सं0-7- ,, ,,
4.	,, - 16- ,, ,,
5.	,, -02- भामा शाह बाजार

अतः उक्त दुकानों / स्टॉलों से संबद्ध एकरारनामा बॉंड अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें तथा कुल 1,20,000.00 रूपये की वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय।

14. शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस का सरकारी कोष में जमानहीं

नगर पंचायत रफीगंज के द्वारा वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस के मद में कुल 7,50,078.00 रूपये की वसूली की गई। बिहार प्राइमरी शिक्षा एमेन्डमेंट एक्ट 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य सेस नियम 1972 के प्रावधानानुसार एवं सरकार के निर्णयानुसार सेस की 10 प्रतिशत राशि अर्थात 75,008.00 रूपये काटकर, 6,75,070.00 रूपये राज्य सरकार के खाते में जमा करना था जो कि नहीं किया गया। जिसके कारण राज्य सरकार को 6,75,070.00 रूपये की हानि उठानी पड़ी। अतः 6,75,070.00 रूपये राज्य सरकार के खाता में अबिलम्ब जमा कराया जाय।

15. विभिन्न योजनाओं की स्थिति

वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक क्रियान्वित विभित्त योजनाओं से संबंधित योजना पंजी एंव योजना अभिलेखों के जॉंच के क्रम में दिनांक 31.03.07 तक योजनाओं की स्थिति निम्न्वत् पायी गयी:-

क्रम सं0	योजना की प्रकृति	वर्ष	वर्ष में कार्यान्वित योजनाओं की सं0	पूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की सं0
1.	विधायक निधि	2005-06	03	03	शून्य
2.	-तदैव-	2006-07	11	शून्य	11
3.	चपाकल निर्माण (नगरीय आधार भूत संरचना)	2006-07	13	शून्य	13

4.	नाली निर्माण (नगरीय आधार भूत संरचना)	2006-07	30	12	18
5.	पथ निर्माण/जिर्णोद्धार (नगरीय आधार भूत संरचना)	2006-07	24	11	13
6.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार यो0	2004-05	06	05	01
7.	-तदैव-	2005-06	17	17	शून्य
8.	-तदैव-	2006-07	10	शून्य	10
9.	राष्ट्रीय शहरी गन्दी वस्ती विकास योजना	2003-04	17	15	02
10.	-तदैव-	2004-05	01	शून्य	01
11.	-तदैव-	2005-06	34	33	01
12.	एकादश वित्त	2003-04	02	02	शून्य
13.	-तदैव-	2004-05	07	शून्य	07
14.	-तदैव-	2005-06	04	02	02
15.	द्वादश वित्त	2006-07	08	03	05

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(1) नगरीय आधारभूत संरचना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में चयनित योजनाओं को, नगर पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार दो माह के अंदर पूरा करना था, परंतु, चापाकल लगाने, पथनिर्माण एवं नाली निर्माण की अधिकोश योजनाएँ दिनांक 31.03.07 तक अपूर्ण पायी गयी।

(2) स्वर्ण जयंती शहरी योजना क अंतर्गत वर्ष 2004-05 की एक योजना अपूर्ण पायी गयी।

(3) राष्ट्रीय शहरी गंदी बस्ती विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 की दो, 2004-05 एवं 2005-06 की एक-एक योजना अपूर्ण पायी गयी।

(4) एकादश वित्त आयोग की वर्ष 2004-05 की सातों योजनाएँ (कुल क्रियान्वित योजनाएँ) एवं 2005-06 की दो योजनाएँ अपूर्ण पायी गयी।

(5) द्वादश वित्त आयोग की वर्ष 2006-07 में क्रियान्वित 8 योजनाओं में से 05 योजनाएँ अपूर्ण पायी गयी।

ज्ञातव्य है कि योजनाओं को समय पर पूरा किया जाना आवश्यक होता है, वरन् योजनाओं का उद्देश्य जाता रहता है। अपूर्ण योजनाओं से संबद्ध मापी पुस्तिका, मस्टर रॉल एवं अभिश्रव को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(6) द्वादश वित्त आयोग के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी विभागीय न हो कर, नेबर हुड कमिटि की संयोजिकाओं को बनाया गया, जो अनियमित है।

उपरोक्त अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु उच्च प्राधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

16. **चापाकल निर्माण**

रफीगंज नगर पंचायत अंतर्गत विभिन्न वार्डो में चापाकल निर्माण हेतू नगर विकास विभाग के पत्र सं0 1101/न0वि0वि0 दिनांक 30.03.06 द्वारा रू0 44.24 लाख निर्गत किया गया। इस राशि को नगर पंचायत के रोकड़ बही में दिनांक 28.04.06/03.05.06 को दर्ज किया गया एवं इसे पंजाब नेशनल बैंक, रफीगंज खाता सं0 118636 में जमा किया गया।

नगर पंचायत द्वारा अगस्त 2006 में निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें सबसे कम दर होने के कारण में वर्णवाल ट्यूववेल ट्रेडर्स, स्वराजपुरी रोड, गया को सामग्री आपूर्ति करने का आदेश दिया गया।

फर्म द्वारा कुल रू0 23.06 लाख मूल्य का सामग्री की आपूर्ति की गई। भंडार पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल रू0 8.36 लाख मूल्य की सामग्री बिना निर्गत/बिना उपयोग के भंडार में पड़ी थी, (मार्च 07), जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

क्रम सं0	सामग्री का विवरण	खरीद की गई	निर्गत की गई	भंडार में पड़ी थी	दर	कुल मूल्य
		@ पीस	@ पीस	@ पीस		
1.	यू0भी0पी0सी0	896	610	286	@1115/-पीस	318890
2.	यू0भी0पी0सी0 (स्टेलए)	224	134	90	@1115/-पीस	100350
3.	जी0आई0पाईप	336	207	129x6पी0 =774पी0	@175/-पीस	135450
4.	ईडिया मार्का III	112	66	46	@4700/-पीस	216200
5.	सेन्टर गाईड	1008	642	366	@160/-पीस	58560
6.	एम0एस0कैप	112	66	46	@150/-पीस	6900
						836350

मार्च 2007 तक एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई थी। अंकेक्षण में प्रस्तुत मापी पुस्त के अनुसार योजनाओं की स्थिति इस प्रकार थी।

80

वार्ड सं0	चपाकल लगाया गयी	प्रा0राशि	यो0सै0	किएगएकार्य का मूल्य	सहायक अभिकर्त्ता मापी पुस्तक दर्ज तिथि	अभिकर्त्ता
01	10	395000	01/06-07	352683	28.02.07	नौशाबा खातून,एन0एच0जी0
02	10	395000	02/06-07	341870	28.02.07	पूनम देवी, एन0एच0जी0
04	08	316000	04/06-07	284374	25.03.07	रौशन, आरा,एन0एच0जी0
07	09	355500	07/06-07	333860	18.03.07	पूनम देवी ,एन0एच0जी0
09	05	197500	09/06-07	187032	18.03.07	नूमाहाँ,एन0एच0जी0
	42					

इस प्रकार, कुल खरीदे गये 112 चापाकलों में से मार्च 07 तक माग 42 चापाकल निर्मित किए जा चूके थे। उपरोक्त योजनाओं में अन्तिम भुगतान नहीं किया गया था। प्रत्येक जगह पर निर्मित चापाकल के लिए मांपीपुस्त में अलग प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी। इसके जगह, एक वार्ड में निर्मित सभी चापाकलों के लिए एक सम्मिलित प्रविष्टि की गई थी, जो गलत था।

भंडार से निर्गत 66 चापाकलों में से मात्र 42 चापाकल लगाये गये थे। बाकी 24 चापाकल एवं अन्य सामग्री की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 'वैट' भुगतान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। योजना का "मस्टर रौल" प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रत्येक जगह के लिए अलग-अलग प्राक्कलन तैयार नहीं किया एवं एक ही मॉडल प्राक्कलन सभी जगहों के लिए तैयार किया गया। मापी पुस्त में प्राक्कलन का हीं नकल कर दिया गया, जिससे वास्तविक मापी न होने का संदेह होता है।

भंडार पंजी में दर्ज सामग्रियों के साथ फर्म, जिसके द्वारा जिर्मित किया गया, का नाम दर्ज नहीं था, नहीं आपूर्ति विपत्रों में फर्म का नाम दर्ज था। इससे इस बात का पता नहीं चल सका कि किस कम्पनी/फर्म की सामग्री के लिए निविदा दी गई एवं किस कम्पनी/फर्म की आपूर्ति की गई।

उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण होने तक इस मद से खर्च की गई कुल राशि रू0 23.06 लाख (सामग्री खरीद) को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता ~~है~~।

17. रॉयल्टी एवं बिक्री कर की कम कटौती

क्रियान्वित पूर्ण योजनाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि योजना कार्य में व्यबहृत निर्माण सामग्रियों पर देय बिहार बिक्री कर एवं लघु खनिजों पर दये रॉयल्टी की कम कटौती अंतिम विपत्रों से की गई। फलस्वरूप राज्य सरकार को रॉयल्टी मद में 17,505.00 रूपये, बिहार बिक्री कर (अब मैट) मद में 1,35,463.00 रूपये, कुल मिलाकार 1,52,968.00 रूपये की राजस्व की क्षति उठानी पड़ी।

(परिशिष्ट –VII के अनुसार)

अतः राज्य सरकार के उपर्युक्त राजस्व क्षति की भरपाई सम्बनिधत अभिकर्त्तओं अथवा उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल करके की जाय। साथ ही अन्य पर्ण योजनाओं में इस प्रकार की राजस्व क्षति की अपने स्तर से गणना करके राशि की वसूली की जाय। वसूली गई राशि को राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष '0853' में रॉयल्टी की राशि तथा '0040' में बिक्री कर की राशि को कोषागार में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया जाय एवं जमा की सूचना स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को दी जाय।

18. अप्रस्तुत प्रमाणक

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना से संबद्ध अमिश्रवों के नमूना जाँच में पाया गया कि कुल 28200.00 रूपये का अमिश्रव आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। रोकड़ बहीं में भुगतान का उद्देश्य दर्ज नहीं था, न ही यह राशि योजना पंजी आदि अभिलेखों में दर्ज पायी गई। विवरण निम्नवत् हैः–

कम सं0	अभिश्रव सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि(रू0)	विवरण
1.	27	520057	11.10.03	28200.00	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, कर संग्राहक

इस प्रकार इसमें वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः संबद्ध अभिश्रव को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किाया जाय। तब तक, कुल 28,200.00 रूपये के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

19. **भविष्य निधि की राशि का दुर्विनियोजन**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक SB/RD/MIS/Rafigang/04B दिनांक 30.01.06 के आलोक में कुल 13कर्मचारियों के डाकघर रफीगंज में संचालित भविष्य निधि खातों से अवशेष राशियों की निकासी श्री कामता प्रसाद कुमुद, रोकड़पाल द्वारा कार्यापालक पदाधिकारी के आदेश से की गई। सात कर्मचारियों के भविष्य निशि खातें की अवशेष राशि को बैंक ऑफ इण्डिया, रफीगंज में व्यक्तिगत (बचत बैंक) खातों में जमा किया गया, परन्तु छः कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि को अंकेक्षण की तिथि तक कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं किया गया अर्थात् छः कर्मचारियों का खाता, बैंक में खोला ही नहीं गया। इस प्रकार कुल 69,347.00 रूपये की राशि का दुर्विनियोजन किया गया। विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	डाकघर से निकासी की तिथि	निकासी की गई राशि (रू0)
1.	2.	3.	4.
1.	श्री मिथिलेश कुमार मिश्र लेखापाल	24.03.06	13,059.00
2.	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह कर संग्राहक	24.03.06	21,222.00
3.	श्री राजनाथ राम स्वीपर	24.03.06	8,816.00
4.	श्री राजेन्द्र राम स्वीपर	24.03.06	9,465.00
5.	श्रीमति मुन्नी देवी	24.03.06	8,287.00
6.	श्रीमति महेश्वरी देवी	24.03.06	8,498.00
		कुल	69,347.00

यथाशीघ्र सम्बंधित कर्मचारियो के नाम से बैंक खाता खुलवाकर उक्त निकासी की गई राशि का स्थानांतरण सम्बंधित बैंक खाते में किया जाय ताकि कर्मचारियों को व्याज के रूप में हो रहे हानि को टाला जा सके।

20. **भविष्य निधि की कटौती की गई राशि का जमा संबद्ध खातों में नहीं**

नगर पंचायत रफीगंज के कर्मचारियों के वेतन विपत्रों के नमूना जाँच में पाया गया कि माह जनवरी 2006 से फरवरी 2007 तक के वेतन से की गई भविष्य निधि कटौतियों की निकासी नगर पंचायत निधि से नहीं की गई, फलस्वरूप कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में उक्त कटौतियों को जमा नहीं किया जा सका। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 21,486.00 रूपये की कटौती को संबद्ध भविष्य निधि खातों में जमा नहीं किया जा सका (परिशिष्ट –VIII के अनुसार)।

अतः उक्त राशि की निकासी नगर पंचायत निधि से करके कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा किया जाय।

21. अग्रिम

अग्रिम पंजी का विहित प्रपत्र में संधारण नहीं किया गया था, जिससे दिनांक 31.03.07 तक समायोजन के लिए बकाये अग्रिम से संबंधित लेखे की जाँच नहीं की जा सकी। फिर भी, रोकड़ बही, योजना पंजी एवं योजना अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक कुल 76,82,923.00 रूपये नगर पंचायत निधि से एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम स्वरूप प्रदान किये गये, परंतु इनसे संबद्ध समायोजन विपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सके (परिशिष्ट -IX के अनुसार)।

अतः कुल 76,82,923.00 रूपये की उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली/समायोजन हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।

22. अंकेक्षण का परिणाम

अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप 7,57,432.00 रूपये वसूल कर जमा कराने हेतु सुझाव दिया गया। 23,36,080.00 रूपये अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी तथा 69,347.00 रूपये की वसूली अधिभार द्वारा करने का प्रस्ताव दिया गया (पूर्ण विवरण परिशिष्ट -X में दिया गया है)।

23. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में प्रचुर सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेखों जैसे- वार्षिक लेखा, अनुदान पंजी, ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी, संपत्ति पंजी एवं माँग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं थे। वसूली गई राशियों के नहीं जमा एवं कम जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। वेतन अग्रिम का सामंजन/वसूली नहीं की गयी। योजनाओं को पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब किया गया।

कमल किशोर

(कमल किशोर)
अनुभाग अधिकारी (ले०प०)

16

स्था० ले०प०- 355 दिनांकः- 03.12.07

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत रफीगंज, को यह प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन महीनों के भीतर अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना को प्रेषित किया जाय।

ह०

~~वरीय~~ लेखा परीक्षा अधिकारी

ज्ञापांकः- 356 दिनांकः- 03.12.07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवयंयक कार्रवाई हेतु अग्रसारित

1. सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, बिहार।
3. अनुभाग अधिकारी/अधिभार

3/12/07

O/o The PAG (Au), Bihar, Patna